भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1670
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम बंगाल में विमानपत्तन

1670. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में कितने नागरिक विमानपत्तन हैं;
(ख) उड़ान योजना के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल में हवाई संपर्क के लिए कितने विमानपत्तनों की पहचान की गई है; और
(ग) क्या सरकार ऐतिहासिक शहर मुर्शिदाबाद के निकट एक विमानपत्तन स्थापित करने पर विचार कर रही है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): पश्चिम बंगाल राज्य में पाँच हवाईअड्डे यथा बेहाला, बागडोगरा (वायु सेना स्टेशन पर सिविल एन्क्लेव), कूच बिहार, दुर्गापुर और कोलकाता प्रचालनरत हैं।
(ख): 'उड़ान योजना' के तहत पश्चिम बंगाल में उड़ानों के परिचालन के लिए दुर्गापुर, कूच बिहार, हाशिमारा, कलाइकुंडा, बर्नपुर और मालदा हवाईअड्डों की पहचान की गई है। उड़ान एक बाजार चालित योजना है। कार्यान्वयन एजेन्सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें इच्छुक एयरलाइनें विशेष मार्गों पर माँग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई एयरलाइन बोली के भावी दौर में पश्चिम बंगाल के हवाईअड्डों से 'उड़ान योजना' के तहत उड़ानों के परिचालन के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर योजना दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।
दुर्गापुर और कूच बिहार से आरसीएस उड़ानों का परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है।
(ग): भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जो देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित करती है। जीएफए नीति के अंतर्गत, परियोजना प्रस्तावक अर्थात हवाईअड्डा विकासकर्ता या संबंधित राज्य सरकार, जो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें www.civilaviation.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को 2-चरणीय प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रेषित करना आवश्यक है। ऐसे प्रस्तावों पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जीएफए नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। मुर्शिदाबाद शहर के पास ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए जीएफए नीति के अनुसार कोई प्रस्ताव अभी तक नागर विमानन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
